**International Research Journal of Human Resource and Social Sciences**
**ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)**
**Impact Factor 5.414 Volume 5, Issue 12, December 2018**
**Website**-www.aarf.asia,**Email**:editor@aarf.asia, editoraarf@gmail.com

# वैदिककाल में 'सभा' और 'समिति' का राजनैतिक महत्त्व

**–कमल राणा–**
शोधार्थी, (इतिहास), कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

**भूमिका :**

प्रस्तुत शोधपत्र में सभा और समिति के राजनैतिक महत्त्व का अध्ययन किया गया है। वैदिक काल में सभा, समिति नामक राजनैतिक संस्थाएं थी, जो राजा का चुनाव करती और उस पर पूरा नियंत्रण रखती थी और राजा को हटा भी सकती थी और उसे पुनः राजा बना भी सकती थी। राजा इन संस्थाओं की इच्छा के बगैर चल भी नहीं सकता था। सभा में कबीले के मुख्य–मुख्य लोग शामिल होते थे। उनकी शक्तियां असीमित थी। समिति का एक अध्यक्ष होता था। सभा और समिति नामक संस्थाएं राजनैतिक संगठनों के रूप में जन सामान्य के हित के लिए काम करने वाली संस्थाएं थी। सेना और कोष पर इसका अधिकार था। वैदिक कालीन सभा और समितियों का संगठन पूरी तरह से राजनैतिक था और इनकी चुनाव पद्धति और कार्यप्रणाली सर्वथा जनतांत्रिक थी। राजा प्रतिनिधि शासक था, जो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता था। यह वैदिक कालीन जनतंत्र का आदर्श रूप था।

**विषय प्रवेश :**

वेदों में प्राचीन समय में मनुष्य की रक्षा उस समय एक महत्वपूर्ण विषय था। रक्षात्मक कारणों से ही उसने घर बना कर रहना सीखा था। सर्वप्रथम सामाजिक संस्था के रूप में कुटुम्ब का जन्म हुआ जिसे वेदों में गार्हपत्य अवस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इसी क्रम में सभा और समिति का जन्म हुआ।

**प्रतिनिधि संस्थाए : सभा और समिति :**

वैदिक साहित्य में हम जिन संस्थाओं को प्रशासनिक और राजनैतिक प्रतिनिधि संस्था कह सकते हैं उनमें सभा–समिति मुख्य थी। अथर्ववेद में उन दोनों संस्थाओं को प्रजापति ब्रहमा की दुहिता कहा गया है, जो परस्पर एकमत होकर राजा का पालन करती थी और राजा को सही–सही सलाह देती थी। इस कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि सभा और समिति दो भिन्न–भिन्न संस्थाए थी परन्तु इनकी संयुक्त बैठक हुआ करती थी कभी–कभी आवश्यक मामलों को यथाशीघ्र तय करने के लिए या किसी खास अवसर के उपलक्ष्य में हुआ करती थी।

**सभा :**

**© Associated Asia Research Foundation (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख आठ बार हुआ है। यह सभा में इकट्ठे लोगों और सभा भवन दोनों का प्रतीक है। सभा का शाब्दिक अर्थ चमकता है। इस अर्थ के अनुसार सभा वह है जो चमकती है अर्थात् इस संस्था के सदस्य प्रतिनिष्ठ होते थे। वी. दीक्षितार का कहना है कि सभा के सदस्य मौलिक रूप से कुलीन ब्राह्मण एवम् माधवन हुआ करते थे। जब कभी सभा किसी प्रशासनिक उद्देश्य से बुलाई जाती थी, तब इसमें गिने चुने लोग अर्थात ब्राह्मणों और गुरूजनों को बुलाया जाता था। इस प्रकार यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभा नामक संस्था में सभी लोग भाग नहीं ले सकते थे।

सभा के वास्तविक स्वरूप के विषय में विद्वानों में एकमतता नहीं है। इन संस्थाओं के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि वैदिक आर्य किसी विषेष समस्या के समाधान हेतु विचार करने के लिए जब एकत्र होकर एक स्थान पर बैठते थे तो उनके इस प्रकार एकत्र होने को समिति और जिस स्थान अथवा भवन में वह एकत्र होते थे तो उसे सभा कहते हैं। इस मत के समर्थक हैलीबैंड माने जाते हैं।

डा. लुउविक के मतानुसार वैदिक आर्यों की एक महत्वपूर्ण अति पुरातन संस्था थी। इस संस्था के सभा और समिति दो सदन थे। जन साधारण का सदन और सभा विशिष्ट अथवा उच्च सदन था। डा के.पी. जायसवाल के मतानुसार समिति वैदिक आर्यों की राष्ट्रीय संस्था थी, परन्तु सभा समिति की एक स्थाई उपसमिति थी।

अथर्ववेद के अनुसार सभा का संगठन प्रयाज, अनुयाज, हुतभागा, अहुताद और पंचप्रदिश नामक पांच प्रकार के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इन पांच तबकों मे प्रत्येक बहुवचनान्त पढ़ गया है जिससे यह सिद्ध होता है कि एक–एक तबके से अनेक सदस्य भाग लेते थे। सभा के सदस्यों का चुनाव एक वर्ष के लिए होता था और सभा का एक सत्र. एक वर्ष का ही होता था। सदस्यों के समुचित आवास की व्यवस्था राजा को करनी होती थी और उन्हें प्रचुर धन की भी दिया जाता था। सभा के अधिकार कार्यों का पता उनके स्वरूप संगठन से ही लग जाता है। सभा को महाअग्नि के रूप में वेदों में वर्णित किया गया है और इसके प्रजातान्त्रिक अधिकारों की व्याख्या भी उसी पद्यति से की गई है। इसे अविश्रान्त गति से कम काम करने वाली शक्ति का स्रोत कहा गया है जो अपनी प्रभुता से प्रजा को तृप्त करती थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में सभा दो टूक निर्णय करती थी और उसकी अधिकार शक्ति असीम थी। सभा से सम्बधित यजुर्वेद में एक उल्लेख मिलता है कि वेदों के विद्वान लोग जिन धन कोष को लोकर जमा करते हैं उसे तुम लोगों (सभासदों) के अधीन किया जा रहा है। यज्ञ के रूप में राष्ट्र की व्यवस्था करने वाला राजा तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा।

राजा की आलोचना करने का भी अधिकार सभा के सदस्यों के पास था। सभा को यह भी अधिकार था कि वह आयोग्य राजा को राज पद से हटा सकती है। अथर्ववेद में एक अन्य उल्लेख प्राप्त होता है कि उग्र राजा को सभा उसी प्रकार बाहर निकाल सकती थी जैसे कोई निष्काम जली हुई अंगुली को काट कर फेंक देता है। राजा के चुनाव में भी सभा अहम भूमिका निभाती थी। कुल मिलाकर यह है कि सभा के अधिकार सबसे उपर थे ।

**समिति :**

वेदकालीन संस्थाओं के उल्लेख जिस रूप में वैदिक साहित्य में प्राप्त है उससे यह ज्ञात होता है कि सभा और समिति वैदिक आर्यों की दो मुख्य राजनैतिक संस्थाएं थी। अथर्ववेद में समिति को सभा की यमज भगिनी और प्रजापति की दुहिता कहकर सम्बोधित किया गया है। ऋग्वेद के अन्तिम अध्यायों में समिति का उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य है कि समिति का महत्त्व ऋग्वेद काल के अन्त में या उसके बाद हुआ। लुडविग के अनुसार समिति अधिक व्यापक सभा थी जिसमें न केवल सभी जन सामान्य वरन् ब्राह्मण और मधवन् के रूप में ज्ञात धनीमानी लोग भी शामिल होते थे। परवर्ती काल में राजन् या राजकुल के लोग भी समिति में जाते थे। वे इसके अति विशिष्ट सदस्य थे। के.पी. जायसवाल का विचार है कि समिति का गठन किसी न किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व के सिद्धन्त पर होता था। समिति की कार्यवाही राजनीतक विषयों तक ही समिति नहीं थी। उतर–वैदिक काल में इसमें दार्शनिक प्रश्नों पर भी चर्चा होती थी। वैदिककालीन समिति को भी विद्वानों का संघ माना गया है। यह मूल रूप से एक राजनीतिक संस्था थी और इसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका माना गया है। समिति के राजनीतिक कार्य काफी स्पष्ट हैं। राजा समिति द्वारा निर्वाचित होता था। स्मिथ महोदय ने कहा है कि जहां निर्वाची राजतंत्र था वहां समिति में सामूहिक इच्छा द्वारा राजा का निर्वाचन होता था।

ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है समिति पूर्व वैदिक काल की राज्य व्यवस्था का ऐसा अभिन्न अंग थी कि इसके बिना राजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस प्रकार से भैंस के लिए वन, सोमरस के लिए घड़ा था, पुरोहितों के लिए याजक महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार राजा के लिए समिति महत्वपूर्ण थी।

समिति का एक अध्यक्ष होता था। समिति के अध्यक्ष को सम्भवतः समितिपति कहते थे। इसी समितिपति की अध्यक्षता में समिति की बैठकें होती थी। अथर्ववेद के एकमंत्र में समिति के सदस्य को समित्य कहकर सम्बोधित किया गया है। समिति के कार्य क्षेत्र में नए राजा का वरण करना, अनुपयुक्त एवं आयोग्य राजा को राजपद से निष्कासित करना, निष्कासित राजा का पुनः निर्वाचन, राज्य की नीति का निर्धारण, योजनाएं बनाना और लागू करना आदि कार्य समिति के अन्तर्गत आते थे। सभा और समिति की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में भी एकता का अभाव था। जैसा कि सभा शब्द का प्रयोग हमें दो रूपों में दिखाई देता है। एकरूप मन्त्रिपरिष्द् का है जिसमें गिने चुने सदस्य होते थे और दूसरा रूप संसद का था जिसमें अनेक समितियां होती थी। वेदों में किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, इसकी कसौटी इनकी सदस्य संख्या ही मानी जा सकती है।

**निष्कर्ष :**

वैदिक काल में सभा समिति नामक राजनैतिक संस्थाएं थी जो राजा का चुनाव करती और उस पर पूरा नियंत्रण रखती थी और राजा को हटा भी सकती थी और उसे पुनः लगा भी सकती भी। राजा इन संस्थाओं की इच्छा के बगैर चल भी नहीं सकता था। सभा में कबीले के मुख्य–मुख्य लोग शामिल होते थे। उसकी असीमित शक्तियां थी। समिति में कबीले के आम लोग भी शामिल होते थे। समिति का एक अध्यक्ष होता था। सभा और समिति नामक संस्थाएं राजनैतिक संगठनों के रूप में जन सामान्य के हित के लिए काम करने वाली संस्थाएं थी। ये संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जनता की प्रतिनिधि शासन संस्थाऐं

थी। इस समय ये सभा और समिति ही कार्यपालिका और न्यायपालिका का मिश्रित रूप थी। सेना और कोष पर इसका अधिकार था। साधारणतः निष्कर्ष यह है कि वैदिक कालीन सभा और समितियों का संगठन पूरी तरह से राजनैतिक था और इनकी चुनाव पद्धति और कार्यप्रणाली सर्वथा जनतांत्रिक थी। अतः राजा प्रतिनिधि शासक था, जो कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता था। यह वैदिक कालीन जनतंत्र का आदर्श रूप था।

संन्दर्भ :


1. अथर्ववेद : 3,4,2
2. अथर्ववेद : 8,10,1
3. अथर्ववेद : 7,12,1
4. डा. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनैतिक विचार एवम् संस्थाएं, पृ. 99
5. डा. हरिश्चन्द्र वर्मा, प्राचीन भारत में राजनैतिक विचार एवम् संस्थाएं, पृ. 368
6. डा. श्यामलाल पाण्डेय, वेदकालीन राज्य व्यवस्था, पृ. 136
7. डा. के पी जायसवाल, हिन्दू पालिटी, पृ. 18
8. अथर्ववेद : 8,10,9,11
9. अथर्ववेद : 7,77,3
10. अथर्ववेद : 20,136,5
11. यर्जुवेद : 18,59
12. अथर्ववेद : 20,15,4
13. अथर्ववेद : 20,136,13
14. अथर्ववेद : 1,14,7
15. डा. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचान एवम् संस्थाएं, पृ. 104
16. डा. के पी जायसवाल, हिन्दी पालिटी, पृ. 15
17. सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारत की शासन संस्थाएं और राजनीतिक विचार, पृ. 321
18. डा. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवम् संस्थाएं, पृ 106